

बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०

Bihar State Tourism Development Corporation Ltd.

वीरचन्द पटेल पथ / Beerchand Patel Path, पटना / Patna- 800 001

दूरभाष / Phone : - +91-612-2222622 फ़ैक्स नं० / Fax No: - 0612-2506218

CIN: U63040BR1980SGC001486, Web: www.bstdc.gov.in E-mail: contactbstdc@gmail.com



सं०सं०-02 / 42 / वि० / स्था० / 14-15 / पार्ट-1 / 1285 / 17

दिनांक:- 03.11.2017

विज्ञापित

बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के अधीन निम्न पदों पर राज्य सरकार के कार्यालय से सेवानिवृत्त कर्मियों के संविदा पर नियोजन हेतु आवेदन :-

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-2804 दिनांक-29.03.10 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक-10.07.2015 के प्रावधानों के आलोक में बिहार राज्य सरकार के कार्यालय से सेवानिवृत्त इच्छुक पदाधिकारियों/कर्मियों से विहित प्रपत्र में संविदा के आधार पर नियोजन हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं :-

क्र०	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	धारित योग्यता
1	अतिरिक्त महाप्रबंधक	01	बिहार प्रशासनिक सेवा/अन्य सेवा के संयुक्त सचिव से अन्यून सेवानिवृत्त पदाधिकारी।
2	प्रबंधक परिवहन	01	बिहार प्रशासनिक सेवा/अन्य सेवा के संयुक्त सचिव से अन्यून सेवानिवृत्त पदाधिकारी।
3	प्रबंधक लेखा	01	बिहार वित्त सेवा से सेवानिवृत्त पदाधिकारी।
4	लेखा सहायक	01	वित्त विभाग से सेवानिवृत्त सहायक।
5	स्थापना सहायक	01	सामान्य प्रशासन विभाग सहित सरकार के अन्य विभागों से सेवानिवृत्त सचिवालय सहायक

1. संविदा पर चयन निम्नांकित शर्तों के अधीन किया जायेगा :-

- चयन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम उम्र सीमा 63 वर्ष होगी। चयन प्रथमतः एक वर्ष अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक के लिए होगा तथा संविदा पर रहने की अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष होगी, जो आवश्यकतानुसार एक-एक साल के लिए उनकी सेवा का विस्तार उनके कार्यों की समीक्षा के उपरान्त किया जा सकेगा।
- नियोजित कर्मियों का मासिक मानदेय उन्हें प्राप्त होने वाले अन्तिम वेतन+सेवानिवृत्ति के समय अंतिम वेतन पर प्राप्त मँहगाई भत्ता के योगफल की राशि में से पेंशन की राशि+सेवानिवृत्ति के समय पेंशन की राशि पर प्राप्त मँहगाई भत्ता की राशि को घटाने के बाद जो प्राप्त राशि होगी वही होगा। मासिक मानदेय की यह राशि उक्त सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के संविदा अवधि में कार्यरत रहने की तिथि तक स्थिर रहेगी।
- सेवानिवृत्त और संविदा नियोजन के बीच वेतन/पेंशन पुनरीक्षण हो जाने की स्थिति में भी निर्धारित मानदेय अपरिवर्तित रहेगा।
- नियोजन हेतु सरकारी सेवकों का चयन किये जाते समय उनके सरकारी कार्य हेतु स्वस्थ होने के सम्बन्ध में असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा।
- नियोजित कर्मियों के कार्यों की समीक्षा समय-समय पर की जाएगी और यदि कार्य संतोषजनक नहीं हो तो उनकी संविदा नियोजन रद्द की जा सकेगी।
- नियोजन में निकट के वर्षों में सेवानिवृत्त कर्मियों को प्राथमिकता सूची में उपर रखा जायेगा।

VII. निम्नांकित कर्मियों की सेवाएं नहीं ली जायेगी :-

- (क) जिन पर कोई निगरानी का मामला चल रहा है।
- (ख) जिन पर कोई विभागीय कार्यवाही चल रही है।
- (ग) जिन पर कोई गंभीर आरोप विचाराधीन हो।
- (घ) जिन पर किसी भी तरह का कोई आपराधिक मामला दर्ज हो।

(नोट :- क्रमांक "क" से "घ" तक के संबंध में शपथ-पत्र देना अनिवार्य होगा)

2. सेवानिवृत्त इच्छुक उम्मीदवार विहित प्रपत्र में दिनांक-16.11.2017 के अपराहन 4.00 बजे तक निगम के कार्यालय में अपना आवेदन निबंधित/हाथों-हाथ समर्पित कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. आवेदन के साथ पी0पी0ओ0 (यदि निर्गत हो) अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सेवापुस्त की छायाप्रति संलग्न किया जाना होगा।
4. नियमानुसार आरक्षण नियमावली का पालन किया जायेगा। क्रमांक-04 एवं 05 क्रमश में लेखा सहायक एवं स्थापना सहायक के 01-01 पद पर संविदा नियोजन आरक्षण नियमावली के आधार पर किया जायेगा।
5. प्राप्त आवेदनों की समीक्षा प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0, पटना की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा की जायेगी।

ह0/-
प्रबंध निदेशक

पत्र का नाम :-

1. आवेदक का नाम
2. विभाग/कार्यालय का नाम
- (जहाँ से सेवानिवृत्त हुए हैं)
3. जन्म तिथि
4. सेवानिवृत्ति की तिथि
5. अंतिम वेतन:-
- I. वेतनमान
- II. मूल वेतन
- III. ग्रेड पे
6. सेवानिवृत्ति को धारित पद
7. पेंशन स्वीकृति की स्थिति:-
- i स्वीकृत
- ii स्वीकृत नहीं
- iii औपबंधिक स्वीकृत
- (सही का निशान लगायें एवं आदेश की प्रति संलग्न करें)
8. पेंशन की स्वीकृत राशि:-
- पेंशन+महंगाई राहत आदि (कुल जोड़कर)
9. सेवानिवृत्ति की तिथि या पूर्व में आरोप/विभागीय कार्यवाही की स्थिति
10. आरक्षण कोटि:- (i) अनुसूचित जाति (ii) अनुसूचित जनजाति (iii) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
(iv) पिछड़ा वर्ग (v) पिछड़ा वर्ग (महिला) (vi) सामान्य (सही का निशान लगावें तथा जाति अंकित करें).....
11. आरोप के निष्पादन की स्थिति /अधिरोपित दण्ड का विवरण
12. वर्तमान पता
13. स्थायी पता
14. घोषणा पत्र:-
- i. एतद् द्वारा मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण सही है। सूचना गलत पाये जाने की स्थिति में मेरी उम्मीदवारी संविदा नियोजन रद्द किया जा सकता है।
- ii. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सामान्य प्रशासन विभाग) बिहार पटना के संकल्प संख्या-2804 दिनांक 29.03.10 एवं संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक 10.07.2015 की सभी शर्तें मान्य है।

Mobile No -

स्थान.....

तिथि

आवेदक का हस्ताक्षर